न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), हमीरपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–15/2026

सरकार **बनाम** रोहित राजपूत उर्फ नीशू आदि

धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
मु0 अ 0 सं0–261/2024
थाना–मुस्करा, जिला हमीरपुर।

<u>09.04.2026</u>

प्रार्थिया श्रीमती रेशमा बानो पत्नी इस्तयाक अली निवासी नई बस्ती मौदहा थाना कोतवाली मौदहा, जिला हमीरपुर की ओर से वाहन मारूति एसप्रेसो नं० यू०पी० 91S 6458 को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि–प्रार्थिया की मारूति एसप्रेसो नं० यू०पी० 91S 6458 चैचिस नं० MA3RFL41SNC347795 व इंजन नंबर k20BN5148751 की पंजीकृत स्वामिनी है। प्रार्थिया की गाड़ी को थाना मुस्करा पुलिस ने उपरोक्त मुकदमे में झूठा बन्द कर दिया है। प्रार्थिया की गाड़ी धूप व वर्षा में खुले में करीब 10 माह से खड़ी है। प्रार्थिया माननीय न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेगी। न्यायहित में प्रार्थिया की गाड़ी मारुति एसप्रेसो को न्यायहित में रिलीज किये जाने की कृपा करें। उक्त के आधार पर प्रार्थिया/आवेदिका द्वारा उपरोक्त मारूति एसप्रेसो जिसका नं० यू०पी० 91S 6458, को अपने हक में अवमुक्त किये जाने की याचना की गई है। समर्थन में रजिस्ट्रेशन, बीमा की की मूल प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं तथा छायाप्रतियां न्यायालय में दाखिल की गई हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्यानुसार एसप्रेसो कार नं० UP 91S 6458 थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 261/2024 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट से संबंधित है। उक्त गाड़ी प्रपत्र न होने के कारण 207 MV Act में सीज कर थाने में खड़ी कराई गई है। उक्त गाड़ी के द्वारा अवैध गांजा तस्करी के लिये परिवाहन किया गया है। उक्त वाहन के द्वारा भविष्य में ऐसा कृत्य करने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रश्नगत मामले में, थाने की आख्या के अनुसार उक्त एसप्रेसो मारुति कार नं० UP 91S 6458 थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर में खड़ी होना बताया गया है। कार एक यांत्रिक मशीनरी है, जिसके अधिक दिनों तक थाने में रखे रहने से, खराब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिससे राजस्व की हानि होना प्रतीत होता है। प्रार्थिया द्वारा अपने वाहन के संबंध में रजिस्ट्रेशन व बीमा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं तथा आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई हैं, जिसमें वाहन स्वामी के रूप मे आवेदिका का नाम अंकित है, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका ही

उपरोक्त वाहन एसप्रेसो कार की स्वामिनी है। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन मारूति एसप्रेसो नं० यू०पी० 91S 6458 पंजीकृत स्वामिनी/आवेदिका के हक में अवमुक्त किया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार प्रार्थिया की ओर से कार मारूति एसप्रेसो अवमुक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत कार मारूति एसप्रेसो अवमुक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका द्वारा 5,00,000/–रु०(पांच लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर, वाहन उपरोक्त मारूति एसप्रेसो नं० यू०पी० 91S 6458 आवेदिका/पंजीकृत स्वामिनी के पक्ष में निम्न शर्तों के अधीन नियमानुसार अवमुक्त किया जाता है। आवेदिका इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगी कि वह उक्त वाहन कार मारूति एसप्रेसो के भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगी और न ही दौरान वाद व्ययनित करेगी और कोई अन्य दावेदार होने पर, न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर पेश करेगी।

उपरोक्त शर्तो को पूरा करने के पश्चात थानाध्यक्ष मुस्करा को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वाहन मारूति एसप्रेसो नं० यू०पी० 91S 6458 को सत्यापन के उपरांत आवेदिका/पंजीकृत स्वामिनी के पक्ष में अवमुक्त, नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–09.04.2026

(अनिल कुमार खरवार)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), हमीरपुर।

Digitally signed by ANIL KUMAR KHARWAR
Date: 2026.04.09 16:46:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court